20/1/26

प्रतुत्तर प्रतिवादन — उभय।

उभय पक्ष तर्क है कि वादिनी प्रतिवादी साथ रहते हैं। — उभय पक्ष में सौहार्द का अभाव विद्यमान है कि अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव का वातावरण उत्पन्न करें।

पुनः वादी वादी उभय वादिनी के विवाह 16-1-2026 को हुआ था।

(पीयूष चौधरी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-2, बाड़मेर